विशेषाधिकार समिति

(VI विधान सभा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

2

(द्वितीय प्रतिवेदन)

सचिवालय

विधान सभा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

विशेषाधिकार समिति

(2015-16)

1. श्री सोमनाथ भारती - सभापति

सदस्य

2. श्री अनिल बाजपेयी
3. श्री महिन्द्र गोयल
4. श्रीमती प्रमिला टोकस
5. अखिलेशपति त्रिपाठी
6. श्री रघुविन्द्र शौकीन
7. श्री राजू धिंगान
8. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
9. श्री गिरीश सोनी

सचिवालय

1. श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा - सचिव
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद - उप-सचिव

विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

प्रस्तावना

मैं, विशेषाधिकार समिति का सभापति, समिति की ओर से माननीय विधायकों श्री राजू धिंगान व श्री मनोज कुमार के द्वारा श्री रजनीश सिंह, अतिरिक्त ज़िलाधीश (पूर्व) (राजस्व ज़िला) के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रकरण में, समिति की ओर से अधिकृत किए जाने पर अपना प्रतिवेदन माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को प्रस्तुत करता हूँ।

विधान सभा

रा.रा.क्षे. दिल्ली

(विशेषाधिकार समिति)

माननीय विधायक श्री राजू घिंगान व श्री मनोज कुमार के प्रकरण में

प्रतिवेदन

श्री राजू घिंगान व श्री मनोज कुमार, पूर्वी ज़िला के दोनों माननीय विधायकों ने विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय को सूचना/शिकायत दिनांक 17/6/2015 दी थी। विशेषाधिकार हनन की सूचना श्री रजनीश सिंह, अतिरिक्त ज़िलाधीश (पूर्व) के विरुद्ध थी जिन्होंने पूर्वी ज़िला (राजस्व) में ज़िला विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी जिसमें श्री राजू घिंगान व श्री मनोज कुमार, दोनों उपस्थित थे। माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह प्रकरण विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जिसने अपनी दिनांक 3/8/205 की बैठक में इसका संज्ञान लिया और प्राथमिक कदम के तौर पर तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अपेक्षाओं के अनुसार श्री रजनीश सिंह, अतिरिक्त ज़िलाधीश (पूर्व) से इस संबंध में उनकी लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उन्हें नोटिस जारी करने का निदेश दिया।

श्री रजनीश सिंह, अतिरिक्त ज़िलाधीश (पूर्व) ने अपने पत्र दिनांक 1/9/2015 के द्वारा इस संबंध में अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने "जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों तथा भारत के संविधान प्रदत्त लोकतांत्रिक प्रक्रिया" के प्रति उच्चतम सम्मान प्रकट किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि माननीय विधायकों की अवमानना करने का उनका कोई इरादा नहीं था और यदि अनजाने में ऐसी कोई विपरीत धारणा बनी है तो उन्होंने माननीय विधायकों व माननीय विशेषाधिकार समिति से अनुरोध किया कि वे इस धारणा का निराकरण कर लें।

विशेषाधिकार समिति ने दिनांक 15/9/2015 की बैठक में श्री रजनीश सिंह के उत्तर पर विचार किया व निर्णय किया कि यह संतोषजनक नहीं है एतदर्थ सचिवालय को निदेश दिया कि उन्हें समिति के समक्ष बुलाया जाए।

दिनांक 15/10/2015 को श्री रजनीश सिंह समिति के समक्ष उपस्थित हुए और संबंधित दिन के घटनाक्रम का वर्णन किया। समिति ने श्री रजनीश सिंह से पूछा कि क्या ज़िला विकास समिति की बैठक में किसी विधायक ने उनसे किसी निजी कार्य के लिए आग्रह किया था जिसका उत्तर उन्होंने 'न' में दिया। फिर समिति ने उनसे पूछा कि क्या सदस्य विधायकों की नाम–पट्टिका न लगाना और पिछली बैठक के कार्यवृत्त का कोई रिकॉर्ड न रखना वांछनीय है? अतिरिक्त ज़िलाधीश ने इसका उत्तर 'न' में देते हुए स्वीकार किया यह उनकी ओर से अनुचित हुआ है। इस पर समिति ने कहा कि यह अतिरिक्त ज़िलाधीश की गलती थी क्योंकि ये दोनों चीजें महत्त्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं जिनके बिना कोई बैठक मात्र एक औपचारिकता भर रह जाती है।

फिर समिति ने अतिरिक्त ज़िलाधीश से पूछा कि क्या वे बैठक में से चले गए थे जिसका उत्तर उन्होंने 'हां' में दिया। समिति ने फिर पूछा कि क्या ऐसा व्यवहार चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति असम्मान दिखाना है? अतिरिक्त ज़िलाधीश ने समिति के साथ सहमति प्रकट की और अपने व्यवहार के लिए खेद प्रकट किया। साथ ही समिति को आश्वस्त किया कि वह ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मंशा कभी किसी विधायक की भावनाओं को चोट पहुँचाने की नहीं थी और यदि

भूलवश ऐसी कोई धारणा बनी है तो उन्हें इसका अत्यंत खेद है और इसके लिए वे बिनाशर्त क्षमायाचना करते हैं। उन्होंने समिति को यह भी अवगत कराया कि परवर्ती बैठकों में कार्यवृत्त तथा माननीय विधायकों की नाम–पट्टिका संबंधी दोनों बिंदुओं का पालन किया गया है।

समिति यह अनुभव करती है कि अतिरिक्त ज़िलाधीश (पूर्व) का व्यवहार दोनों विधायकों के प्रति अत्यंत अवमाननाकारक था जिसके लिए कठोरतम कार्रवाई अपेक्षित है किंतु उनके द्वारा खेद प्रकट किए जाने व समिति के समक्ष बिनाशर्त क्षमायाचना को देखते हुए समिति ने नरम रुख अपनाने का तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही को समाप्त करने निश्चय किया है।

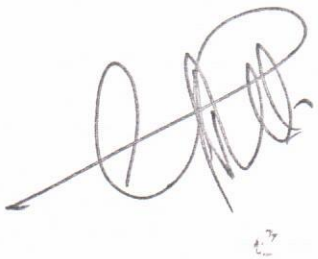

विशेषाधिकार समिति

(छठी विधान सभा)

रा.रा.क्षे.दिल्ली

द्वितीय प्रतिवेदन

COMMITTEE OF PRIVILEGES
(VI LEGISLATIVE ASSEMBLY)
NCT OF DELHI

2

SECOND REPORT

SECRETARIAT
LEGISLATIVE ASSEMBLY
NCT OF DELHI
DELHI

COMMITTEE OF PRIVILEGES

(2015-2016)

Shri Somnath Bharti — **Chairperson**

MEMBERS

2. Shri Anil Bajpai
3. Shri Mahinder Goyal
4. Smt. Parmila Tokas
5. Shri Akhilesh PatiTripathi
6. Shri Raguvinder Shokeen
7. Shri Raju Dhingan
8. Shri Rajendra Pal Gautam
9. Shri Girish Soni

Secretariat

1. Shri Prasanna Kumar Suryadevara - Secretary
2. Shri Rajender Prashad - Dy. Secretary

REPORT OF PRIVILEGE COMMITTEE

Introduction

I, The Chairman of the Privilege Committee having been authorized by the Committee to submit the report on their behalf in the matter of Hon'ble MLAs Shri Raju Dhingan and Shri Manoj Kumar alleging breach of privilege against Shri Rajneesh Singh ADM(East) (Revenue Distt.), present the report to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha.

LEGISLATIVE ASSEMBLY
NCT OF DELHI
(COMMITTEE OF PRIVILEGES)

In the matters of Hon'ble MLAs Shri Raju Dhingan and Shri Manoj Kumar.

REPORT

Notices/Complaints dated 17/6/2015 alleging breach of privilege were given to Hon'ble Speaker by Sh. Raju Dhingan and Sh. Manoj Kumar both Hon'ble MLAs in District East. The Notice of breach of privilege was against Sh Rajneesh Singh, ADM(East)who presided over the meeting of District Development Committee meeting in District East (Revenue) in which both Shri Raju Dhingan and Sh. Manoj Kumar were present. Hon'ble Speaker referred the matter to the Committee of Privileges which took cognizance of the same in its meeting dt. 3/8/2015 and as a preliminary measure and as is required by principles of natural justice, directed issuance of notice to Shri Rajneesh Singh, ADM(East) inviting his written response in this regard.

Sh. Rajneesh Singh, ADM(East) submitted his written explanation in this matter vide his letter dt.1/9/2015 wherein he expressed his "highest regard for the Representatives of the people and democratic process mandated by the Constitution of India". He also clarified that he did not intend to cause any disrespect to the Hon'ble Members of Legislative Assembly and if inadvertently any contrary impression has been conveyed he requested that the Hon'ble MLA and the Hon'ble Privilege Committee not to carry further such impression.

The Committee of Privileges considered Sh. Rajneesh Singh's reply in its meeting dt. 15/9/2015 and decided that this was not satisfactory and therefore directed the Secretariat to summon him before the Committee.

On 15/10/2015, Sh. Rajneesh Singh appeared before the Committee and narrated the sequence of events on the said day. The Committee asked Sh. Rajneesh Singh whether any MLA in the District Development Committee

meeting asked for any personal favour to which Mr. Singh replied in the negative. Then, the Committee asked him whether not keeping name plates of the Member MLAs and not having records of the minutes of the previous meeting was desirable. The ADM replied in the negative and admitted that this was not proper on his part. The Committee then observed that it was a mistake on ADM's part as these are the two important requirements without which a meeting is reduced to a mere ritual.

The Committee then asked the ADM whether he walked out of the meeting of District Development Committee to which the ADM replied in the affirmative. The Committee further asked whether this conduct of his amounted to showing disrespect to the elected representatives. The ADM concurred with the Committee and felt sorry for his conduct and assured the Committee that he shall never repeat it in future. He also stated that he never had any intention to cause any hurt to the feelings of any MLA and if inadvertently any such impression has been conveyed to any of the MLAs, he is highly regretful and tenders an unqualified apology for the same. He also informed the Committee that in subsequent meetings, both the points relating to the minutes and the name plates of the honourable MLAs are being complied with.

The Committee feels that the behavior of ADM(East) was highly contemptuous towards both the MLAs which warrants harshest action but keeping in view the submission of regret and unqualified apology he tendered before the committee, the Committee has decided to take a lenient view of the matter and also decided to drop the proceedings against him.